प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.12.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा ब्लिंकिट स्टोर के सामने से वादी की मोटर साइकिल चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 18.12.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी संजय कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी खोडा कॉलोनी मंगल बाजार रोड़ थाना खोडा गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्लिंकिट स्टोर के सामने से वादी की मोटर साइकिल चोरी कर ली गयी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । उपरोक्त घटनाक्रम में थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 18/19.12.2025 की रात्रि में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ब्लिंकिट स्टोर के सामने से वादी की मोटर साइकिल चोरी करने वाला 01 अभियुक्त विशाल पुत्र राम बाबू निवासी सी 531 न्याय खण्ड 3 इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 27 बर्ष को ग्रीन बैल्ट कनावनी पुलिया के पास से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र राम बाबू उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र राम बाबू उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद चोरी की मोटर साइकिल को 02 दिन पहले जीसी ग्रांड सोसायटी के पास ब्लिंकिट स्टोर के सामने से चोरी किया था । जिसे अभियुक्त उपरोक्त बेचने जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल पुत्र राम बाबू निवासी सी 531 न्याय खण्ड 3 इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 27 बर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र राम बाबू उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के 02 अभियोग व आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

04 अभियुक्तों को जिला बदर किये जाने के सम्बन्ध में

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 18.12.2025 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त बलवा करने, गाली गलौच/मारपीट करने स्वेच्छया उपहति कारित करने, जान से मारने की धमकी देने, उद्दापन/हत्या का प्रयत्न/हत्या करने, चोरी/लूट/डकैती करने व गौवध/पशु क्रूरता अधिनियम एवं अवैध हथियार रखने सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 04 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्व कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0सं0	**वाद संख्या**	**थाना**	**विपक्षी का नाम व पता**	**आपराधिक इतिहास**
1	108/2025	ट्रोनिका सिटी	जतन गुज्जर उर्फ जतन बच्ची पुत्र ओमप्रकाश निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 38/2023 धारा 147,148,149,307,323,386,395,506,507 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 501/2023 धारा 323,341,504,506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी, 3. मु0अ0सं0 871/2023 धारा 120बी,302,34 भादवि थाना लोनी 4- मु0अ0सं0 425/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी
2	109/2025	ट्रोनिका सिटी	उज्जवल उर्फ गोलू पुत्र नरेन्द्र उर्फ नन्दी निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 38/2023 धारा 147,148,149,307,323,386,395,506,507 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 871/2023 धारा 120बी,302,34 भादवि थाना थाना लोनी 3- मु0अ0सं0 864/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी 4- मु0अ0सं0 425/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी
3	254/2025	खोडा	अंकित पुत्र उमेश निवासी म0नं0 165 सुन्दर पानी प्लान्ट के पास संगम पार्क थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 1551/2023 धारा 392,34 भादवि थाना इंदिरापुरम, 2. मु0अ0सं0 1547/2023 धारा 392,411,34 भादवि थाना इंदिरापुरम
4	278/2025	भोजपुर	दानिश पुत्र रियाजुद्दीन उर्फ रियाजू निवासी कस्वा फरीदनगर थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना भोजपुर, 2. मु0अ0सं0 259/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर 3. मु0अ0सं0 07/2017 धारा 379,411,506 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ 4. मु0अ0सं0 318/2024 धारा 379 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ 5. मु0अ0सं0 71/2017 धारा 411,414 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ 6. मु0अ0सं0 90/2017 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद बागपत 7. मु0अ0सं0 607/2021 धारा 3/11 पशु अतिचार अधिनियम व 380 भादवि थाना भोजपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष-2025 में अब तक कुल 160-विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) एवं 96- विपक्षी/अभियुक्तो को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 05 बडे गैस सिलेण्डर, 04 बैट्री, 01 कैलकुलेटर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 सामान ढोने वाली रिक्शा ठेली, 16 भगौने, 01 हथौडा बडा, 01 सब्बल, 4560/- रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 13.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से विभिन्न सामान चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 06 अभियुक्तों 1.आशु पुत्र सिराजुद्दीन निवासी बाबू होटल के पास पतली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद 2. कामिल पुत्र अय्यूब निवासी गली नंबर 19 प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद 3. सादिक पुत्र अय्यूब निवासी मदीना मस्जिद के पास वाली गली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 4. शादाब उर्फ लम्बू पुत्र सोहेल निवासी मलिक चौक के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 5. सलमान पुत्र मौ0 जफर निवासी बाबू होटल के पास वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद 6. अंकुश पुत्र अमर सिंह निवासी शिव मंदिर के पास नाईपुरा प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 05 बडे गैस सिलेण्डर, 04 बैट्री, 01 कैलकुलेटर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 सामान ढोने वाली रिक्शा ठेली, 16 भगौने, 01 हथौडा बडा, 01 सब्बल, 4560/- रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 12/12/2025 की रात्रि में पीर मजार बलराम नगर गेट के पास स्थित पत्थर की एक दुकान से ताले तोडकर 01 मोटरसाइकिल व विभिन्न सामान व कुछ नगद रूपये चोरी कर लिये थे। लगभग 20-21 दिन पहले आशु, कामिल, सादिक व शादाब उर्फ लम्बू ने लक्ष्मी एन्क्लेव मलिक नगर से घर के सामने खडी एक कार से कार का ईसीएम व कार की बैट्री चोरी की थी । दिनांक 17/12/2025 की रात्रि को हम लोगो ने अशोक विहार में टेन्ट की दुकान का विभिन्न सामान चोरी किया था । हम लोगो ने इन सभी जगहो पर चोरी किये गये सामान में से अल्टीनेटर व 01 कैलकुलेटर व लोहे का सामान सलमान कबाडी को तथा 12 बैट्री,15 चार्जर, कुछ बिजली की मोटर, लोहे की मशीन, कार का ईसीएम, सिलाई की मशीन, 01 हथौडा, टब व 04 भगौने अपने साथी कबाडी अख्तर अल्वी को बेच दिये थे । आज हमने चोरी के बचे सामान को बेचने के लिए अपने साथी कबाडी अंकुश, सलमान व अख्तर अल्वी को बुलाया था । हम लोग चोरी के सामान को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आशु पुत्र सिराजुद्दीन निवासी बाबू होटल के पास पतली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

2. कामिल पुत्र अय्यूब निवासी गली नंबर 19 प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष ।
3. सादिक पुत्र अय्यूब निवासी मदीना मस्जिद के पास वाली गली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष ।
4. शादाब उर्फ लम्बू पुत्र सोहेल निवासी मलिक चौक के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष ।
5. सलमान पुत्र मौ0 जफर निवासी बाबू होटल के पास वाली गली मे अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष ।
6. अंकुश पुत्र अमर सिंह निवासी शिव मंदिर के पास नाईपुरा प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

कबाडी अख्तर अल्वी

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 05 बडे गैस सिलेण्डर, 04 बैट्री, 01 कैलकुलेटर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 सामान ढोने वाली रिक्शा ठेली, 16 भगौने, 01 हथौडा बडा, 01 सब्बल, 4560/- रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है व थाना लोनी पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं । अभियुक्त आशू पर थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी का 01 अभियोग, अभियुक्त कामिल के विरूद्ध थाना लोनी पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की सर्विलांस टीम व सभी थानों द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 150 मोबाइल (अनुमानित कीमत 35 लाख रूपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये ।

सीईआई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 150 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रूपये है, की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण-

1. थाना कोतवाली नगर- 42

2. थाना विजयनगर-36
3. थाना सिहानीगेट- 16
4. थाना नंदग्राम- 23
5. थाना कविनगर - 06
5. थाना मधुबन बापुधाम -19
6. थाना साइबर-08

कुल योग - 150

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं तत्कालीन थानाध्यक्ष/विवेचक श्री अवनीश दीक्षित थाना मुरादनगर द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) श्री वरुण त्यागी द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अभियुक्त सुदेश कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी सिखैडा थाना इन्चौली जनपद-मेरठ को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

अभियुक्त द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अनुचित भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से लूट व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करना जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन थानाध्यक्ष/वादी मुकदमा थाना मुरादनगर द्वारा दिनांक 26.10.2007 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

श्री वरुण त्यागी विशेष लोक अभियोजक(गैंगस्टर एक्ट)	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**आ0 अरुण कुमार** पैरोकार थाना मुरादनगर

रिक्रूट आरक्षियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सम्मेलन एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन

कमिश्नरेट गाजियाबाद के पुलिस लाइन परिसर में प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सम्मेलन एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध श्री केशव कुमार चैाधरी द्वारा की गई । इस अवसर पर प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना गया एवं रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन, समयपालन, शारीरिक दक्षता, व्यवहारिक ज्ञान एवं कानून के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रशिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और किन त्रुटियों से बचा जाए, ताकि भविष्य में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सके।

- सम्मेलन के दौरान तीन माह में इन्डोर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे अन्य प्रशिक्षुओं का मनोबल बढ़े और वे भी कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के साथ प्रशिक्षण पूर्ण करें।

- सम्मेलन के अंत में सभी रिक्रूट आरक्षियों से अनुशासन, ईमानदारी एवं जनसेवा को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया तथा आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण उपरांत वे जनता की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

- सम्मेलन के दौरान प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से आईटीआई एवं पीटीआई को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

- उन्होंने निर्देशित किया कि प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, समयपालन, शारीरिक एवं मानसिक दक्षता, व्यवहारिक ज्ञान तथा पुलिस कार्यप्रणाली के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतते हुए रिक्रूट आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठ, जनसंवेदनशील एवं कानून का पालन करने वाला सक्षम पुलिसकर्मी बनाए जाने पर जोर दिया गया।

- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय/अपराध) ने स्पष्ट किया कि आईटीआई एवं पीटीआई की भूमिका रिक्रूट आरक्षियों के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रशिक्षण को उच्च मानकों के अनुरूप, सकारात्मक एवं प्रेरणादायी वातावरण में संचालित किया जाए।

सम्मेलन के दौरान पुलिस उपायुक्त लाइन श्री निमिष पाटील एवं अपर पुलिस उपायुक्त लाइन श्री पीयूष सिंह मौजूद रहे ।